

विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879

(1879 का अधिनियम संख्यांक 18)¹

[29 अक्टूबर, 1879]

विधि व्यवसायियों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि [कतिपय प्रांतों में] विधि व्यवसायियों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित किया जाए, [तथा प्रत्येक अन्य प्रान्त की प्रान्तीय सरकार को इस बात के लिए सशक्त किया जाए कि वह उस प्रान्त पर] इस अधिनियम के ऐसे भागों का [विस्तार करे] जिन्हें वह सरकार ठीक समझे ;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 है और यह 1880 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

स्थानीय विस्तार—इस धारा और धारा 2 का विस्तार, [जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय,] सम्पूर्ण भारत पर है ।

[शेष अधिनियम का विस्तार प्रथमतः उन राज्यक्षेत्रों पर है जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा और दिल्ली में समाविष्ट थे । किन्तु किसी भी राज्य की राज्य सरकार इस अधिनियम के शेष सभी या किन्हीं उपबन्धों का समय-समय पर विस्तार², उस राज्य पर अथवा उसके किसी भाग पर, जहां इन उपबन्धों का विस्तार नहीं किया गया है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी ।]

¹ इस अधिनियम का विस्तार बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर किया गया । यह अंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंगुल जिले में और अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा हजारीबाग, लोहारडागा और मानभूम जिलों और डालभूम परगना और सिंहभूम जिले में कोल्हान पर भी प्रवृत्त घोषित किया गया । देखिए भारत का राजपत्र 1881, भाग 1, पृ० 504 । जिला लोहारडागा (जो अब जिला रांची कहा जाता है देखिए कलकत्ता गजट, 1889 भाग 1, पृ० 44) में इस समय तक पालामऊ जिला सम्मिलित था जिसे 1894 में अलग किया गया ।

यह निम्नलिखित को लागू करने के लिए संशोधित किया गया—

बंगाल में, 1942 के बंगाल अधिनियम सं० 5 द्वारा ;

मध्य प्रान्त और बरार में, 1939 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 25 द्वारा ;

मद्रास में, 1943 के मद्रास अधिनियम सं० 3, 1944 के मद्रास अधिनियम सं० 14, 1947 के मद्रास अधिनियम सं० 9, 1950 के मद्रास अधिनियम सं० 17 और 1960 के मद्रास अधिनियम सं० 12 द्वारा ;

उड़ीसा में, 1938 के उड़ीसा अधिनियम सं० 6 द्वारा ; और

उत्तर प्रदेश में, 1925 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4 और 1936 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 4 द्वारा ।

अधिनियम का विस्तार मणिपुर राज्य पर नहीं किया गया । देखिए 1956 के अधिनियम सं० 68 द्वारा यथा संशोधित 1950 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 और अनुसूची ।

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण राज्य मध्य प्रदेश पर 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) और पंजाब में अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर 1960 के पंजाब अधिनियम सं० 41 द्वारा किया गया ।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “बंगाल के निचले प्रान्तों, उत्तर पश्चिमी प्रान्तों, पंजाब, अवध, मध्य प्रान्तों और असम और शेष ब्रिटिश भारत की स्थानीय सरकारों में से प्रत्येक को अपने द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों तक विस्तारित करने का सशक्त करने के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों को छोड़कर” वे स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ इस शक्ति के अधीन अधिनियम का विस्तार, कतिपय लोपों के अधीन रहते हुए और जहां तक यह केवल सिविल और दाण्डिक न्यायिक न्यायालयों से संबंधित है, अनुसूचित जिलों को छोड़कर मद्रास प्रेसिडेंसी पर 1 अप्रैल, 1882 से किया गया । देखिए—कोर्डि सेंट जार्ज गजट, 1881, भाग 1, पृ० 491 और 701 । अधिनियम की धारा 3 और 4 का विस्तार मुम्बई प्रेसिडेंसी के विनियम जिलों पर किया गया, देखिए मुम्बई गवर्नमेंट गजट, 1885, भाग 1, पृ० 290 ; और धारा 13 [उसके खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (च) को छोड़कर] 34, 36 और 40 का विस्तार सम्पूर्ण मुम्बई प्रेसिडेंसी पर किया गया [मुम्बई गजट, 1904, भाग 1, पृ० 1635] । अध्याय 1 की धारा 40, अनुसूची 2 और अध्याय 3, 5, 6 और 7 का वह भाग जो प्लीडरों से संबंधित है, कुर्ग जिले पर विस्तारित किया गया, देखिए मैसूर गजट, 1879, भाग 1, पृ० 355 ; धारा 4, 5 और 38 का विस्तार करने वाली अधिसूचना के लिए कुर्ग जिला गजट, 1891, भाग 1, पृ० 140 ; 1896 के अधिनियम सं० 11 द्वारा यथासंशोधित धारा 3, 13 और 36 का, जहां तक वे प्लीडरों से संबंधित है विस्तार करने वाली अधिसूचना के लिए कुर्ग गजट, 1899, भाग 1, पृष्ठ 122 ; और धारा 4 और 41 का विस्तार करने वाली अधिसूचना के लिए कुर्ग गजट 1935, भाग 1, पृ० 2 भी देखिए । धारा 4 और 41 का विस्तार अजमेर-मारवाड़ पर किया गया, देखिए भारत का राजपत्र, 1927, भाग 2क, पृ० 214 ।

2. [अधिनियमितियों का निरसन]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. **निर्वचन-खण्ड**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

“न्यायाधीश” से प्रत्येक सिविल और दांडिक न्यायालय का पीठासीन न्यायिक अधिकारी अभिप्रेत हैं, भले ही उसका पदनाम कुछ भी क्यों न हो ;

“अधीनस्थ न्यायालय” से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय अभिप्रेत है, जिनके अन्तर्गत 1850 के अधिनियम संख्यांक 9¹ या 1865 के अधिनियम संख्यांक 11² के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय भी हैं ;

“राजस्व कार्यालय” के अन्तर्गत (सिविल न्यायालयों से भिन्न) वे सभी न्यायालय आते हैं जो भू-धारकों तथा उनके अधिभोगियों या अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में वादों का विचारण तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन करते हैं ;

“विधि व्यवसायी” से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी; कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है ;

³“टाउट” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(क) जो, किसी विधि व्यवसायी की तरफ से दिए जाने वाले किसी पारिश्रमिक के प्रति-फलस्वरूप, विधि सम्बन्धी किसी कारबार में उस विधि व्यवसायी के लिए नियोजन उपाप्त करता है ; या जो, किसी विधि व्यवसायी या विधि सम्बन्धी किसी कारबार में हितवद्ध किसी व्यक्ति की तरफ से दिए जाने वाले किसी पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप, ऐसे विधि व्यवसायी अथवा व्यक्ति से, उस कारबार में उस विधि व्यवसायी के लिए नियोजन उपाप्त करने का प्रस्ताव करता है ; अथवा

(ख) जो ऐसे उपापन के प्रयोजनार्थ सिविल अथवा दांडिक न्यायालयों अथवा राजस्व कार्यालयों, अथवा रेल-स्टेशनों, उतरने के स्थानों, ठहरने के स्थानों या अन्य लोक समागम-स्थलों की प्रसीमाओं में आता जाता है ।]

अध्याय 2

अधिवक्ता और वकीलों और अटर्नियों के विषय में

4. **अधिवक्ता और वकील**—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम इस समय या इसके पश्चात् किसी उच्च न्यायालय की नामावली में ऐसे न्यायालय को गठित करने वाले लेटर्स पेटेन्ट के अधीन या ⁴[इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन] अधिवक्ता या वकील के रूप में दर्ज है ⁵[या इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजाब के मुख्य न्यायालय में प्लीडर के रूप में दर्ज है,] उस न्यायालय के, जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज है, अधीनस्थ सभी न्यायालयों में और ऐसे न्यायालय की अपीली अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित सभी राजस्व कार्यालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा, किन्तु वह उस भाषा के संबंध में जिसमें प्लीडरों या राजस्व अभिकर्ताओं को उस न्यायालय या कार्यालय को संबोधित करना है, प्रवृत्त नियमों के अधीन रहेगा ; और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका इस प्रकार नाम दर्ज है, और जो उस न्यायालय में, जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज है, या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में साधारणतया विधि व्यवसाय करता है, इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ⁶[उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है,] किसी न्यायालय में, जो उस उच्च न्यायालय से भिन्न हो, जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, या न्यायालय की अनुज्ञा से, ⁷[अथवा किसी ऐसे उच्च न्यायालय की दशा में, जिसकी बाबत भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 (1926 का 38) प्रवृत्त है, उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए,] किसी ऐसे उच्च न्यायालय में, जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, और किसी राजस्व कार्यालय में, उस हैसियत में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसा वकील ⁸[या प्लीडर] किसी उच्च न्यायालय या खंड न्यायालय के या किसी प्रेसिडेंसी नगर में आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए इस धारा के अधीन हकदार नहीं होगा ।

5. **उच्च न्यायालय के अटर्नी**—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम इस समय या इसके पश्चात् किसी उच्च न्यायालय की नामावली में अटर्नी के रूप में दर्ज है, ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों में तथा ऐसे उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित सभी राजस्व कार्यालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार

¹ अब प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) देखिए ।

² प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) देखिए ।

³ 1926 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1884 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा “पंजाब के मुख्य न्यायालय की नामावली में एक अधिवक्ता के रूप में” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 1908 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁶ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों के” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ 1926 के अधिनियम सं० 38 की धारा 19 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

दर्ज है और जो उस न्यायालय में जिसकी नामावली में उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में साधारणतया विधि व्यवसाय करता है, इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे न्यायालय में [जिसके राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है] और जो रायल चार्टर द्वारा स्थापित उस न्यायालय से भिन्न है जिसकी नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, और किसी राजस्व कार्यालय में, उस हैसियत में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा।

उस राज्य का उच्च न्यायालय, जिसमें अटर्नी इस धारा के अधीन विधि व्यवसाय करता है, समय-समय पर ऐसे नियम बना सकेगा जिनमें यह घोषित किया जाएगा कि इस प्रकार विधि व्यवसाय करने वाले किसी अटर्नी के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य क्या-क्या समझे जाएंगे।

अध्याय 3

प्लीडरों और मुख्तारों के विषय में

6. [अभियोजकों और मुख्तारों की योग्यता आदि के बारे में नियम बनाने की शक्ति। नियमों का प्रकाशन।]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(2) द्वारा (1-12-1961 से) निरसित।

7. [अभियोजकों और मुख्तारों को प्रमाणपत्र।]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(2) द्वारा (1-12-1961 से) निरसित।

8. नामांकन होने पर प्लीडर न्यायालयों और राजस्व कार्यालयों में विधि व्यवसाय कर सकेंगे—धारा 7 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र का धारक प्रत्येक प्लीडर, उसमें वर्णित तथा उस उच्च न्यायालय की, जिसके द्वारा उसे प्रवेश दिया गया है, अपीली अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में नामांकित होने के लिए आवेदन कर सकेगा; और इस अधिनियम से सुसंगत उन नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी³ समय-समय पर इस निमित्त बनाए, पीठासीन न्यायाधीश या अधिकारी उसका तदनुसार नामांकन करेगा; और तब वह किसी ऐसे न्यायालय या कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में हाजिर हो सकेगा, अभिवचन कर सकेगा और कार्य कर सकेगा।

9. नामांकन होने पर मुख्तार न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर सकेंगे—धारा 7 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र का धारक प्रत्येक मुख्तार उसमें वर्णित तथा उन्हीं सीमाओं में स्थित किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय में नामांकित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उच्च न्यायालय इस निमित्त समय-समय पर बनाए, पीठासीन न्यायाधीश उसका नाम तदनुसार दर्ज करेगा; और तब वह ऐसे किसी सिविल न्यायालय और उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में मुख्तार के रूप में विधि व्यवसाय कर सकेगा और (दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) ऐसे किसी दाण्डिक न्यायालय और उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में हाजिर हो सकेगा, अभिवचन कर सकेगा और कार्य कर सकेगा।

10. जब तक अर्हित न हो तब तक प्लीडर या मुख्तार के रूप में कोई व्यक्ति विधि व्यवसाय न करेगा—इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे न्यायालय में, जो रायल चार्टर द्वारा स्थापित नहीं है, प्लीडर या मुख्तार के रूप में, जब तक कि उसके पास धारा 7 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र न हो और जब तक उसे ऐसे न्यायालय में या किसी न्यायालय में, जो उसके अधीनस्थ हो, नामांकित न किया गया हो, विधि व्यवसाय नहीं करेगा।

1869 के बंगाल अधिनियम 8 के अधीन वादों में राजस्व अभिकर्ता मुन्सिफ के न्यायालयों में हाजिर हो सकेंगे, अभिवचन कर सकेंगे और कार्य कर सकेंगे—परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिन्हें 1880 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व राजस्व-अभिकर्ता के रूप में प्रवेश दिया गया है, और जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों में उस रूप में इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र धारण करते हैं, उक्त राज्यक्षेत्रों में किसी भी मुन्सिफ न्यायालय में, धारा 9 द्वारा उपबन्धित रीति से, नामांकित किए जा सकेंगे और इस प्रकार नामांकित होने पर वे (भू-स्वामी और अभिधारी के बीच होने वाले वादों में प्रक्रिया का संशोधन करने वाले) 1869⁴ के बंगाल अधिनियम सं० 8 के अधीन, या भू-स्वामियों और उनके अभिधारियों तथा अभिकर्ताओं के बीच के वादों में प्रक्रिया को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन वादों में ऐसे किसी न्यायालय में हाजिर हो सकेंगे, अभिवचन कर सकेंगे और कार्य कर सकेंगे।

11. मुख्तारों के कृत्यों को घोषित करने की शक्ति—सिविल प्रक्रिया संहिता⁵ में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय समय-समय पर ऐसे नियम बना सकेगा जिनमें यह घोषणा की जाएगी कि अधीनस्थ न्यायालयों में, और ऐसे उच्च न्यायालय की दशा में, जो

¹ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों के” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 52(2) द्वारा (1-12-1961 से) धारा का वह भाग जो विधि व्यवसायियों के प्रवेश और उनके नाम दर्ज करने से संबंधित है निरसित किया गया।

³ परिभाषा के लिए देखिए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3।

⁴ अब बंगाल अभिवृत्ति अधिनियम, 1885 (1885 का 8) देखिए।

⁵ अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

रायल चार्टर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ऐसे न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले मुख्तारों के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य क्या-क्या समझे जाएंगे।

12. [दांडिक अपराध से सिद्धदोष अभियोजकों और मुख्तारों का निलंबन और पदच्युति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

13. [अव्यवसायिक आचरण के दोषी अभियोजकों और मुख्तारों का निलंबन और पदच्युति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

14. [अव्यवसायिक आचरण का आरोप न्यायालय या राजस्व कार्यालय में लाए जाने पर की प्रक्रिया। अन्वेषण लम्बित रहने के दौरान निलम्बन]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

15. [धारा 14 के अधीन दोषमुक्ति की दशा में अभिलेख को मंगाने की शक्ति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

¹16. अपील पक्ष के मुख्तारों के लिए नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति—लेटर्स पेटेन्ट या सिविल प्रक्रिया संहिता² की धारा 37 के खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, रायल चार्टर द्वारा स्थापित कोई उच्च न्यायालय निम्नलिखित विषयों के संबंध में समय-समय पर ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से सुसंगत हों, अर्थात्—

(क) ऐसे न्यायालय के अपील पक्ष में विधि व्यवसाय करने वाले मुख्तार होने के लिए समुचित व्यक्तियों की अर्हताएं और उनका प्रवेश ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा और प्रवेश के लिए दी जाने वाली फीस ;

(ग) वह प्रतिभूति, जिसका अपनी ईमानदारी और सदाचार के लिए दिया जाना उनसे अपेक्षित है ;

(घ) ऐसे मुख्तारों का निलम्बन और उनकी पदच्युति ; और

(ङ) यह घोषित करना कि उनके कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य क्या-क्या समझे जाएंगे,

और ऐसे नियमों के अतिलंघन के लिए ऐसे जुर्माने विहित और अधिरोपित कर सकेगा जो किसी मामले में पांच सौ रुपए से अधिक न हों ; और अधिरोपित किए जाने पर ऐसे जुर्माने उसी प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में अधिरोपित किए गए थे।

अध्याय 4

राजस्व अभिकर्ताओं के विषय में

¹17. राजस्व अभिकर्ताओं की अर्हताओं, आदि के बारे में नियम बनाने की शक्ति—मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी³ निम्नलिखित विषयों के संबंध में समय-समय पर ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से असंगत हों, अर्थात् :—

(क) राजस्व अभिकर्ता होने के लिए समुचित व्यक्तियों की अर्हताएं, उनका प्रवेश और उनके प्रमाणपत्र ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा और प्रवेश के लिए दी जाने वाली फीस ;

(ग) ऐसे राजस्व अभिकर्ताओं का निलम्बन और उनकी पदच्युति ;

(घ) यह घोषित करना कि उनके कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य क्या-क्या समझे जाएंगे।

नियमों का प्रकाशन—एसे सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और तब उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

18. [राजस्व अभिकर्ता को प्रमाणपत्र]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

419. [राजस्व अभिकर्ता का नामांकन—प्रत्येक राजस्व अभिकर्ता, जिसके पास धारा 18 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र है, उसमें वर्णित और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के अधीन राज्यक्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी राजस्व कार्यालय में नामांकित

¹ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(2) द्वारा (1-12-1961 से) धारा का वह भाग जो विधि व्यवसायियों के प्रवेश और उनके नाम दर्ज करने से संबंधित है निरसित किया गया और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) धारा का वह भाग जो विधि व्यवसायियों के निबंधन, हटाए जाने या पदच्युत किए जाने से संबंधित है निरसित किया गया।

² अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए।

³ परिभाषा के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 देखिए।

⁴ अधिवक्ता, अधिनियम 1961 (1961 का 25) की धारा 50(2) द्वारा (1-12-1961 से) धारा का वह भाग जो विधि व्यवसायियों के प्रवेश और उनके नाम दर्ज करने से संबंधित है निरसित किया गया।

किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी समय-समय पर इस निमित्त बनाए, ऐसे कार्यालय का पीठासीन अधिकारी उसका तदनुसार नामांकन करेगा और तब वह ऐसे कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ किसी राजस्व कार्यालय में राजस्व अभिकर्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर सकेगा।

20. जब तक अर्हित न हो तब तक राजस्व कार्यालयों में अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति का कार्य न करना—जैसा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में उपबन्धित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति, जो इससे पूर्व दिए गए उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित प्लीडर से भिन्न है, जब तक कि उसके पास धारा 18 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र न हो और वह ऐसे कार्यालय या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यालय में नामांकित न हो, किसी राजस्व कार्यालय में राजस्व अभिकर्ता के रूप में विधि व्यवसाय नहीं करेगा :

परन्तु इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी¹ की, अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किए गए किसी अधिकारी की मंजूरी से, ऐसे सभी या कोई भी काम, कर सकेगा जिसमें उसका मालिक किसी राजस्व कार्यालय से सम्बद्ध हो।

इस धारा में वर्णित मंजूरी साधारण हो सकेगी या विशेष और उसे ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जिसने वह मंजूरी दी हो, किसी भी समय प्रतिसंहत या निलम्बित किया जा सकेगा।

21. [दाण्डिक अपराध में दोषसिद्ध राजस्व-अभिकर्ता की पदच्युति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

22. [अव्यवसायिक आचरण के दोषी राजस्व-अभिकर्ताओं का निलम्बन और पदच्युति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

23. [राजस्व अभिकर्ता जब इस प्रकार आरोपित हो उस समय की प्रक्रिया]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

24. [मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अभिलेख मंगाने की शक्ति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित।

अध्याय 5

प्रमाणपत्रों के विषय में

25. प्रमाणपत्रों के लिए फीस—इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र, चाहे वह मूल हो या नवीकृत, ऐसे मूल्य के स्टांपित कागज पर, जो इससे उपाबद्ध द्वितीय अनुसूची में उसके लिए विहित है, लिखा जाएगा² और वह उस प्रकार का होगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे] :

परन्तु किसी वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् जारी किया गया प्रमाणपत्र इस प्रकार विहित मूल्य के आधे मूल्य वाले स्टांपित कागज पर लिखा जा सकता है :

³[परन्तु यह भी कि किसी ऐसे प्रमाणपत्र की दशा में, चाहे वह मूल हो या नवीकृत, जिसमें किसी वकील या अटर्नी को, रायल चार्टर द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय की नामावली में धारा 7 के अधीन प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, स्टांपित कागज की आवश्यकता नहीं होगी।]

26. पदच्युत विधि व्यवसायियों द्वारा प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण—जब किसी प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता को इस अधिनियम के अधीन निलम्बित या पदच्युत कर दिया जाता है, तब वह अपना प्रमाणपत्र तत्काल उस न्यायालय या उस कार्यालय के प्रधान अधिकारी को समर्पित कर देगा जिसके समक्ष या जिसमें वह अपने ऐसे निलम्बन या पदच्युति के समय विधि व्यवसाय कर रहा था, या किसी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को समर्पित कर देगा जिसे प्रमाणपत्र देने का आदेश उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी⁴(यथास्थिति) उसे दे।

¹ परिभाषा के लिए, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 देखिए।

² 1884 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1908 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1884 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

अध्याय 6

प्लीडरों, मुख्तारों और राजस्व अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक के विषय में

27. उच्च न्यायालय और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा सिविल और राजस्व कार्यवाहियों में फीस का नियत किया जाना—उच्च न्यायालय, (क) ऐसे न्यायालय के अपील पक्ष, (ख) ऐसे उच्च न्यायालय की दशा में, जो रायल चार्टर द्वारा स्थापित नहीं है, उसके आरम्भिक पक्ष, और (ग) अधीनस्थ न्यायालयों में होने वाली सभी कार्यवाहियों की बाबत किसी पक्षकार के प्रतिपक्षी के अधिवक्ता, प्लीडर, वकील, मुख्तार या अटर्नी को दी जाने वाली फीस के बारे में, [और धारा 10 के अधीन हाजिर होने वाले, अभिवचन करने वाले या कार्य करने वाले उसके प्रतिपक्षी के राजस्व अभिकर्ता की फीस के बारे में,] उस पक्षकार द्वारा संदेय फीस समय-समय पर नियत और विनियमित करेगा।

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी,² राजस्व कार्यालयों की कार्यवाहियों में किसी पक्षकार के प्रतिपक्षी के अधिवक्ता, प्लीडर, वकील, अटर्नी, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता की फीस की बाबत उस पक्षकार द्वारा संदेय फीस समय-समय पर नियत और विनियमित कर सकेगा।

इस प्रकार नियत की गई फीस की सारणियां राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी।

धारा 20 में वर्णित अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में अपवाद—इस धारा की कोई भी बात धारा 20 के परन्तुक में वर्णित अभिकर्ताओं को लागू नहीं होगी।

28 से 31. [कक्षीकार के साथ करार। करार को उपांतरण या रद्द करने की शक्ति। अतिरिक्त दावा अपवर्जित करने का करार। उपेक्षा के लिए उत्तरदायित्व का आरक्षण।]—विधि व्यवसायी फीस अधिनियम, 1926 (1926 का 21) द्वारा निरसित।

अध्याय 7

शास्तियां

32. प्लीडरों, मुख्तारों या राजस्व अभिकर्ताओं के रूप में अवैध रूप से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विषय में—कोई व्यक्ति, जो धारा 10 या धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में विधि व्यवसाय करेगा, ऐसे न्यायालय या ऐसे कार्यालय के प्रधान अधिकारी के आदेश से जुर्माने का दायी होगा जो उस न्यायालय या कार्यालय में इस प्रकार विधि व्यवसाय करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित स्टाम्प की रकम के दस गुने से अधिक नहीं होगा और संदाय न किए जाने की दशा में सिविल जेल में ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दायी होगा।

वह उस समय, जब वह पूर्वोक्त दोनों धाराओं में किसी के भी उपबन्धों का उल्लंघन कर रहा है, प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता के रूप में अपने द्वारा किए गए किसी कार्य या संवितरण के लिए, या उसके सम्बन्ध में, किसी फीस या पुरस्कार के लिए या उसकी बाबत किसी धारणाधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कोई वाद चलाए रखने के निमित्त भी अक्षम होगा।

33. प्रमाणपत्र न देने वाले प्लीडर, मुख्तार, आदि को निलंबित या पदच्युत करने के विषय में—कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता, जो धारा 26 द्वारा अपेक्षित अपना प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगा, न्यायालय प्राधिकारी या उस अधिकारी के आदेश से, जिसे या जिसके आदेश के अनुसार प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए, जुर्माने का, जो दो सौ रुपए से अधिक नहीं होगा और जुर्माना अदा न करने पर सिविल जेल में कारावास का, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दायी होगा।

34. निलम्बन के दौरान या पदच्युति के पश्चात् विधि व्यवसाय करने वाले निलम्बित या पदच्युत विधि व्यवसायी के विषय में—कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निलम्बित या पदच्युत कर दिया गया है और जो ऐसे निलम्बन के दौरान या पदच्युति के पश्चात् किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता के रूप में विधि व्यवसाय करेगा, ऐसे न्यायालय या ऐसे कार्यालय के प्रधान अधिकारी के आदेश से जुर्माने का, जो पांच सौ रुपए से अधिक का न होगा और जुर्माना अदा न करने पर सिविल जेल में कारावास का, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दायी होगा।

35. जुर्मानों का पुनरीक्षण—धारा 32, 33 या 34 के अधीन प्रत्येक आदेश, जहां वह किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है वहां, उच्च न्यायालय के, और जहां वह आदेश मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी² के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वहां उस प्राधिकारी के, पुनरीक्षण के अधीन होगा।

¹ 1884 के अधिनियम सं० 9 को धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

² परिभाषा के लिए देखिए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3।

1[36. टाउट की सूचियां तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्ति—(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, जो जिले के कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (अपने न्यायालय के लिए और यदि उसके अधीनस्थ कोई न्यायालय है तो उसके लिए) ऐसे व्यक्तियों की सूचियां तैयार और प्रकाशित कर सकेगा जिनके बारे में सामान्य ख्याति संबंधी साक्ष्य द्वारा या अन्यथा, उसके समाधानप्रद रूप में 2[या उपधारा (2क) में यथा उपबन्धित किसी अधीनस्थ न्यायालय के समाधानप्रद रूप में] यह साबित हो गया है कि वे टाउट के रूप में अभ्यासतः कार्य करते हैं, और समय-समय पर ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकेगा।]

2[स्पष्टीकरण—किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों के संगम की, उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ऐसे संकल्प का पारित किया जाना, जिसमें यह घोषित किया गया है कि कोई व्यक्ति टाउट है या नहीं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सामान्य ख्याति का साक्ष्य होगा।]

(2) ऐसी किसी सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को उसका नाम ऐसे सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो।

2[(2क) टाउट की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन सशक्त कोई प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों के नाम भेज सकेगा जिनके बारे में यह अभिकथित है या संदेह है कि वे टाउट हैं, और ऐसे व्यक्तियों के बारे में जांच करने के लिए उस न्यायालय को आदेश दे सकेगा; तथा वह अधीनस्थ न्यायालय तब ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करेगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कारण दर्शित करने का, जैसा कि उपधारा (2) में उपबन्धित है, अवसर देने के पश्चात् उस प्राधिकारी को, जिसने जांच का आदेश दिया है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम की रिपोर्ट करेगा जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो गया है कि वह टाउट है और वह प्राधिकारी अपने द्वारा बनाई गई और प्रकाशित की गई टाउट की सूची में ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित कर सकेगा।

परन्तु वह प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम इस प्रकार सम्मिलित किए जाने से पूर्व, उस व्यक्ति की सुनवाई करेगा जो उसके समक्ष पेश होकर सुनवाई की इच्छा प्रकट करता है।]

(3) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस प्रत्येक न्यायालय में लटकाई जाएगी जिससे उसका संबंध है।

(4) ऐसा न्यायालय या न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में सम्मिलित है, न्यायालय की प्रसीमाओं से बाहर कर सकेगा।

(5) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में सम्मिलित है, यह समझा जाएगा कि वह, धारा 13, खंड (ड), और धारा 22, खंड (घ) के अर्थ में टाउट घोषित कर दिया गया है।

2[(6) कोई व्यक्ति, जो उस समय जब उसका नाम ऐसी किसी सूची में दर्ज हो, टाउट के रूप में कार्य करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।]

अध्याय 8

प्रकीर्ण

37. [राज्य सरकार द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति।]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(2) द्वारा (1-2-1961 से) निरसित।

38. उच्च न्यायालय के विधि व्यवसायियों को अधिनियम के कुछ भागों से छूट—धाराओं 4, 5, 3[7], 16, 3[25], 27, 32 और 36 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात उन अधिवक्ताओं, वकीलों और अटर्नियों को, जिन्हें उस लेटर्स पेटेन्ट के अधीन, जिसके द्वारा कोई उच्च न्यायालय गठित किया गया था, उस उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश दिया और नामांकित किया गया है, या ऐसे न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले मुख्तारों को, या 4[इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन] नामांकित अधिवक्ताओं को लागू नहीं होगी 5[और, धारा 36 द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 (1926 का 38) के अधीन किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी।]

¹ 1896 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1926 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1908 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1884 के अधिनियम सं० 9 की धारा 7 द्वारा “पंजाब के मुख्य न्यायालय द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1926 के अधिनियम सं० 38 की धारा 19 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

39. [मुख्तार और राजस्व-अभिकर्ता का प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति का निलम्बन या पदच्युति]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित ।

40. [अभियोजकों आदि का बिना सुनवाई किए, निलम्बित या दोषमुक्त न किया जाना]—अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) निरसित ।

¹[²41. कतिपय उच्च न्यायालयों की अधिवक्ताओं को नामांकित करने की शक्ति ।—(1) कोई उच्च न्यायालय, जो रायल चार्टर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है ³[और जिसकी बाबत भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 (1926 का 38) प्रवृत्त नहीं है] न्यायालय के अधिवक्ता होने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की अर्हता और प्रवेश के बारे में समय-समय पर नियम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, बना सकेगा और, इन नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे और उतने अधिवक्ताओं को नामांकित कर सकेगा जैसे और जितने वह ठीक समझे ।

(2) इस प्रकार नामांकित प्रत्येक अधिवक्ता, न्यायालय के वादकर्ताओं के लिए हाजिर होने और, न्यायालय अपने नियमों द्वारा जैसे अवधारित करे उसके अनुसार और उन नियमों के अधीन रहते हुए, अभिवचन करने अथवा कार्य अथवा अभिवचन तथा कार्य करने के लिए हकदार होगा ।

(3) उच्च न्यायालय इस प्रकार नामांकित किसी अधिवक्ता को पदच्युत कर सकेगा या उसे विधि व्यवसाय करने से निलम्बित कर सकेगा ।

(4) परन्तु इस धारा के अधीन कोई अधिवक्ता तब तक पदच्युत या निलम्बित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसने उसे नामांकित किया था ; अपना बचाव करने का अवसर न दे दिया गया हो, और जब तक कि, उसे पदच्युत या निलम्बित करने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश, ⁴[अवध के मुख्य न्यायालय को छोड़कर,] राज्य सरकार द्वारा पुष्ट न कर दिए गए हों ।

42. [1827 का बाम्बे रेगुलेशन सं० 2 का अध्याय 6 और 1846 का अधिनियम सं० 1 तथा 1853 का अधिनियम सं० 20 का निरसन]—संशोधन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

प्रथम अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 25 देखिए)

प्रमाणपत्रों के लिए स्टांपों का मूल्य

I

प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए धारक को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए,—

(क) उच्च न्यायालय और किसी अधीनस्थ न्यायालय में—पचास रुपए ;

(ख) किसी प्रेसिडेंसी नगर के किसी लघुवाद न्यायालय में—पच्चीस रुपए ;

(ग) अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों में—पच्चीस रुपए ;

(घ) अधीनस्थ न्यायाधीशों, मुन्सिफों, सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और तहसीलदारों के न्यायालयों में, प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर के लघुवाद न्यायालयों में और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी दांडिक न्यायालयों में—पन्द्रह रुपए ;

(ङ) मुन्सिफों के न्यायालयों और प्रथम बार के किसी सिविल या दांडिक न्यायालय में, जिनका इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है—पांच रुपए ।

II

मुख्तार के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए धारक को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए,—

¹ 1884 के अधिनियम सं० 9 की धारा 8 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² अधिवक्ता अधिनियम, 1961(1961 का 25) का धारा 50(2) द्वारा (1-12-1961 से) धारा का वह भाग, जो विधि व्यवसायियों के प्रवेश और उनके नाम दर्ज करने से संबंधित है, निरसित किया गया और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 50(4) द्वारा (1-9-1963 से) धारा का वह भाग जो विधि व्यवसायियों के निलम्बन, हटाए जाने या पदच्युत किए जाने से संबंधित है, निरसित किया गया ।

³ 1926 के अधिनियम सं० 38 की धारा 19 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 1925 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

(च) उच्च न्यायालय और किसी अधीनस्थ न्यायालय में—पच्चीस रुपए ;

(छ) प्रेसिडेंसी नगर के किसी लघुवाद न्यायालय में—पन्द्रह रुपए ;

(ज) अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों में—पन्द्रह रुपए ;

(झ) अधीनस्थ न्यायाधीशों, मुन्सिफों, सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और तहसीलदारों के न्यायालयों में, प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर के लघुवाद न्यायालयों में और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी दाण्डिक न्यायालयों में—दस रुपए ।

(ञ) मुन्सिफों के न्यायालयों और प्रथम बार के सभी सिविल या दांडिक न्यायालयों में, जिनका इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है—पांच रुपए ।

III

राजस्व अभिकर्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए धारक को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए,—

(ट) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के कार्यालय में और ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व कार्यालय में—पन्द्रह रुपए ;

(ठ) आयुक्त के कार्यालय में और आयुक्त के अधीनस्थ किसी राजस्व कार्यालय में—दस रुपए ।

(ड) कलक्टर के कार्यालय में और कलक्टर के अधीनस्थ किसी राजस्व कार्यालय में—पांच रुपए ।